

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13 / स्था0-02-37 / 2025-

पटना / दिनांक-

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा के पत्रांक-3236 दिनांक 18.12.2025 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री रत्नेश गौतम (जे0-10570), कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमण्डल, त्रिवेणीगंज के पिताजी की देखभाल करने के लिए दिनांक 16.05.2025 से दिनांक 24.06.2025 तक (कुल-40 दिनों) की अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
- उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनीष आनंद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-13 / स्था0-02-37 / 2025-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-13 / स्था0-02-37 / 2025-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा को उनके पत्रांक-3236 दिनांक 18.12.2025 के क्रम में मूल सेवा पुस्त (एक अदद) एवं मूल अवकाश लेखा विवरणी (एक अदद) संलग्न है/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, त्रिवेणीगंज/श्री रत्नेश गौतम (जे0-10570), कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमण्डल, त्रिवेणीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0- मूल सेवा पुस्त (एक अदद) एवं

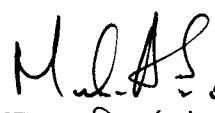
मूल अवकाश लेखा विवरणी (एक अदद)।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-13 / स्था0-02-37 / 2025- 228 पटना, दिनांक - 13/01/26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अवर सचिव (प्रबंधन)।